बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग।

अधिसूचना

पटना, दिनांक..................

02/एम0एम0–(बा0)–30/21–...................../एम0 बालू के निक्षेपों के सही निर्धारण एवं मॉनसून के उपरांत बालू की मात्रा के आकलन हेतु वैज्ञानिक तरीके से नदियों का पुनर्भरण अध्ययन आवश्यक है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बालू खनन के संबंध में निर्गत प्रवर्तन और निगरानी मार्गदर्शिका–2020 (EMGSM-2020) में भी नदियों का वैज्ञानिक तरीके से पुनर्भरण अध्ययन कराया जाना अनिवार्य है।

2. बालू खनन के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त्त के अनुसार पुनर्भरण अध्ययन बालू बंदोबस्तधारी द्वारा कराया जाना है। निविदा दस्तावेज में उल्लेखित शर्त्त के अनुसार बंदोबस्तधारी द्वारा मानसून के पहले और बाद पुनर्भरण अध्ययन (Replenishment Study) अद्यतन तकनीक द्वारा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों से कराना है। बंदोबस्तधारी द्वारा आंकड़ों में बदलाव कराने की संभावना है, जिससे राजस्व प्रभावित हो सकता है। अतएव राज्य के प्रमुख नदियों का पुनर्भरण अध्ययन विभाग द्वारा कराया जाना आवश्यक है।

3. प्रवर्तन और निगरानी मार्गदर्शिका–2020 में निर्धारित प्रक्रिया के तहत पुनर्भरण अध्ययन विशिष्ट मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा आधुनिक तकनीक से ही कराया जा सकता है। मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान के चयन में विशिष्टता, गुणवत्ता एवं अनुभव के आलोक में सेन्ट्रल माइन प्लांनिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लि0 के माध्यम से पुनर्भरण अध्ययन कराये **जाने के लिए पंचांग वर्ष 2025 के लिए पुनर्भरण अध्ययन का दर ₹2,58,61,352/–(रूपये दो करोड़ अंठावन लाख इकसठ हजार तीन सौ बावन मात्र) का शुल्क देय है।**

4. **पंचांग वर्ष 2025 में राज्यान्तर्गत 05 प्रमुख नदियों यथा–सोन, कियूल, फल्गू,** मोरहर एवं चानन नदी का पुनर्भरण अध्ययन (Replenishment Study) हेतु बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली–2024 के नियम–131 झ(छ) के तहत नामांकन के आधार पर सेन्ट्रल माइन प्लांनिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लि0 (CMPDI) से कराने हेतु राशि ₹2,58,61,352/–(रूपये दो करोड़ अंठावन लाख इकसठ हजार तीन सौ बावन मात्र) की स्वीकृति दी जाती है।

5. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(भारत भूषण प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–02/एम0एम0–(बा0)–30/21–..................../एम0, पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि :–महाप्रबंधक, सेन्ट्रल माइन प्लांनिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लि0 (CMPDI), गोंदवाना प्लेस, कांके रोड, राँची, झारखण्ड–834031 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव।

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक–02/एम0एम0–(बा0)–30/21–................../एम0, पटना, दिनांक ....
प्रतिलिपि :–अवर सचिव, (ई–गजट कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी 100 (एक सौ) प्रतियाँ मुद्रित कर खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–02/एम0एम0–(बा0)–30/21–................../एम0, पटना, दिनांक ....
प्रतिलिपिः–सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–02/एम0एम0–(बा0)–30/21–................../एम0, पटना, दिनांक ....
प्रतिलिपिः–सभी उप निदेशक/सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी/खान निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–02/एम0एम0–(बा0)–30/21–................../एम0, पटना, दिनांक ....
प्रतिलिपिः–विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की दिनांक 17.06.2025 की बैठक में मद संख्या–02 के विरूद्ध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–02/एम0एम0–(बा0)–30/21–................../एम0, पटना, दिनांक ....
प्रतिलिपिः–माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–02/एम0एम0–(बा0)–30/21–3260/एम0, पटना, दिनांक 17/06/25
प्रतिलिपि :–आई0टी0 मैनेजर, खान एवं भूतत्व विभाग को (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/06/25

सरकार के अपर सचिव।